Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भिवाड़ी (अलवर) में हैड कानि. 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *29 अक्टूबर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर–प्रथम इकाई द्वारा आज शुक्रवार को कार्यवाही करते हुये सुभाष चन्द, हैड़ कानि., पुलिस थाना किशनगढ़ बास, जिला भिवाडी (अलवर) को परिवादी से 40 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर–प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी की भाभी द्वारा पुलिस थाना किशनगढ़ बास जिला भिवाड़ी में दर्ज कराये गये मुकदमें में ठौस एवं जल्दी कार्यवाही करने की एवज में हैड़ कानि. द्वारा 40 हजार रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अलवर–प्रथम के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह** के निर्देशन में श्री रविन्द्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व शिकायत का सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी हैड़ कानि. द्वारा मामले को ठौस एवं जल्दी कार्यवाही करने की एवज में 40 हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई, जिस पर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये **सुभाष चन्द पुत्र श्री सुबेसिंह जाति यादव, उम्र 43 साल निवासी हुलमाना खुर्द थाना शाहजहॉपुर जिला अलवर हाल हैड़ कानि. नं. 46 पुलिस थाना किशनगढ़ बास जिला भिवाड़ी (अलवर)** को परिवादी से 40 **हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्व अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्व भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।